राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :–मु.अ.(मु.)/राआमं/2017-18/ 390 दिनांकः– 8/9/17

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र कमांक मु.अ.(मु.)/राआमं/2017–18/218 दिनांक 09.06.2017 के द्वारा संवेदकों के अनुबन्ध जिनमें ऋणात्मक एस्क्लेशन है उनके अन्तिम बिलों के भुगतान से पूर्व ऋणात्मक एस्क्लेशन की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर राशि की वसूली आवश्यक रूप से सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

संवेदकों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर लेख हकया है कि मण्डल के विभिन्न खण्डों द्वारा आवासन आयुक्त महोदय के परिपत्र कमांक F2(8)/comp/GST/2017-18/192 दिनांक 21.06.2017 में 30.07.2017 से पूर्व सेवाकर के दायित्वों के नि पादन के संबंध में दिये निर्देशों के अनुकम में संवेदकों के विभिन्न अनुबन्धों के अन्तिम बिल, बिना ऋणात्मक एस्कलेशन की राशि को सकल कार्य राशि में घटाये ही पारित कर दिया गया है जिससे उन्हें ऋणात्मक एस्कलेशन की राशि पर भी सेवाकर का भार वहन करना पड़ा है।

अतः कर सलाहकार की सलाह के आधार पर यह निर्देशित किया जाता है कि ऋणात्मक एस्कलेशन की सक्षम स्वीकृति होने तक, ऋणात्मक एस्कलेशन की राशि अन्तिम बिल के अनुसार कार्य की सकल राशि में से घटाते हुए संशोधति बिल पारित करें एवं पारित किये जा युके बिल के अनुसार चुकाये गये सेवाकर तथा संशोधित पारित बिल के अनुसार देय सेवाकर राशि के अन्तर हेतु केडिट नोट जारी किया जावें एवं संबंधित खण्ड के द्वारा यदि कोई भी सेवाकर की देयता होती है तो उसमें से केडिट नोट के अनुसार राशि की कटौती कर शेष सेवाकर की राशि विभाग में जमा कराई जावें।

कर सलाहकार से प्राप्त सलाह के अनुसार माह अप्रेल–जून–17 की सेवाकर रिटर्न को 45 दिवस की अवधि में संशोधति किया जा सकता है, अतः संशोधित बिल पारित करने के कारण सेवाकर के दायित्वों में हुए परिवार्तन हेतु निर्धरित समयावधि में संशोधित सेवाकर रिटर्न दाखिल करवा के एक प्रति GST प्रकोष्ठ में ई–मेल से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऋणात्मक एस्क्लेशन के प्रकरण पूर्ण जांच कर उचित माध्यम से अनुशंसित करवाकर तत्काल मुख्य अभियंता कार्यालयों को प्रेषित करवाये एवं सक्षम प्राधिकारी से प्रकरण स्वीकृत होने पर यदि ऋणात्मक एस्क्लेशन की राशि में वृद्धि होती है तो उसकी वसूली अमानत राशि में से की जावें।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपीः–

1. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय रा0आ0मं0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0,..........................
6. समस्त आवासीय अभियंता, रा0आ0मं0,.........................
7. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा0आ0मं0, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त खण्ड/वृत्त एवं जोन कार्यालयों की ई–मेल पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें एवं मण्डल की वेबसाईट पर महत्वपूर्ण आदेशें में अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार